संख्याः 32 /2017 / 1174(1) /तीस-1-2017-5(1)/2017

प्रेषक,

मुहम्मद अख़लाक़ खॉ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊा।

परिवहन अनुभाग-1 लखनऊः दिनाँक 22 दिसम्बर 2017

विषयः क्षेत्रीय कार्यशाला गोरखपुर के निर्माण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-363बी/डीए/पूर्व/17-28जेईटी/गो०/07-08, दिनांक 24 मई, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय कार्यशाला गोरखपुर के निर्माण कार्य हेतु उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के उक्त पत्र दिनांक 24 मई, 2017 द्वारा रू0 933.33 लाख की लागत का प्रारम्भिक आगणन उपलब्ध कराया गया। उपलब्ध आगणन लागत रू० 933.33 लाख के सापेक्ष प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा परीक्षणोंपरान्त आंकलित की गयी धनराशि रू० 804.50 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 में निहित निर्देशों के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रथम किश्त के रूप में लगभग 50 प्रतिशत के समतुल्य की धनराशि रू० 400.00 लाख (रू० चार करोड़ मात्र) निम्नलिखित शर्तो के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) प्रश्नगत कार्य कराये जाने हेतु उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि0 को कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है। उ0प्र0 राज्य सडक परिवहन निगम द्वारा उक्त कार्यदायी संस्था से अनुश्रवण करके प्रश्नगत कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

(2) उक्त आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपोजिट खाते में जमा नहीं की जाएगी।

(3) कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय तथा कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करायी जाय।

(4) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(5) प्रायोजनान्तर्गत कतिपय ऐसी मदें जो लोक निर्माण विभाग की अनुसूची दरों में सम्मिलित नहीं है, उनकी लागत का आकलन बाजार दर/कोटेशन के आधार पर किया गया हो तो कार्यदायी संस्था द्वारा बाजार/कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित प्रोपराइटरी संबंधी कार्यमदों पर व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत न्यूनतम आवश्यकता एवं उच्च गुणवत्ता के साथ किया जायेगा।

(6) प्रायोजना प्रस्ताव में प्रस्तावित मात्राओं तथा प्राविधानों को कार्यान्वयन के समय सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा ।

(7) प्रायोजना में इण्डिया मार्का हैण्डपम्प, भवनों के आंतरिक विद्युतीकरण एवं प्रागंण में प्रकाश व्यवस्था आदि के कार्य हेतु धनराशि प्रस्तावित की गयी है। इनके क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा यथावश्यकता इस प्रकार के कार्यो हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरे प्राप्त की जायेगी। चूंकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य है एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेशिफिकेशन के अन्तर से लागत में

http://shasanadesh.up.nic.in

अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः कार्यदायी संस्था से अपेक्षित है कि निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।

(8) परियोजना का अंतिम रूप में अनुमोदित मानचित्र/डिजाइन के आधार पर विस्तृत आगणन का गठन करते हुए सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य कराया जायेगा।

(9) परियोजना निर्माण में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(10) उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत बालू एवं मिट्टी भराई हेतु लागत प्रस्तावित की गयी है। इस संबंध में दिनांक 08-03-2010 को सम्पन्न बैठक में वित्त व्यय समिति द्वारा दी गयी व्यवस्था के अनुरूप यदि किसी प्रायोजना में मिट्टी भराई की आवश्यकता पड़ती है तो सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा स्थानीय स्तर पर अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति का गठन किया जाय जिसमें सदस्य के रूप में जिलाधिकारी के प्रतिनिधि एवं निर्माण ऐजेन्सी तथा सदस्य-सचिव के रूप में प्रशासकीय विभाग के स्थानीय स्तर के प्रतिनिधि रहेगे। इस समिति द्वारा अनुमोदित कन्टूर मैप एवं मिट्टी की मात्रा के अनुसार ही प्रायोजना प्रस्तावों/आगणनों में मिट्टी भराई का प्रावधान किया जाय। अन्यथा की स्थिति में मिट्टी भराई मद में प्रस्तावित धनराशि पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। यह प्रक्रिया सन्दर्भित प्रायोजना में नहीं की गयी है। अत: मिट्टी भराई हेतु उक्त के संबंध में उपरोक्तानुसार तकनीकी समिति का अनुमोदन प्राप्त करने की कार्यवाही कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(11) निर्माण के समय कार्य की विशिष्टियां, मानक, गुणवत्ता एवं समयबद्दता अवश्य सुनिश्चित किये जाने का दायित्व उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि0 एवं उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम का होगा। परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

(12) परियोजना लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों में कोई उल्लेखनीय परिर्वतन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार में वृद्धि, एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राडंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने की स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर कार्यदायी संस्था उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा 03 माह के अन्दर शासन के माध्यम से समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

(13) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से परिवहन निगम द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत हैं और न ही वर्तमान तथा भविष्य में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(14) प्रश्नगत परियोजनान्तर्गत निर्माण कार्यो को सम्पादित किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा माइलस्टोन्स निर्धारित किया जायेगा और निर्धारित माइलस्टोन्स व तदनुसार कार्यो की प्रगति से समय-समय पर शासन को अवगत कराया जायेगा। निर्माण कार्य को समयबद्धता से पूर्ण कराया जाए साथ ही गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए।

(15) स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का मासिक विवरण प्रपत्र-बी0एम0-13 में प्रतिमाह वित्त व्यय नियन्त्रण अनुभाग-9 एवं परिवहन अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जाएगा। उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03.08.2017 में दिए गये निर्देशों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर इस सम्बन्ध में जारी किये गये अन्य निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

http://cgmadesh.up.nic.in

(16) उक्त व्यय के सम्बन्ध में शासन को उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम लि० का होगा। उक्त धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त किया जाएगा।

(17) योजना में अनुमोदित लागत में ही एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कराया जाय। उक्त धनराशि कार्यदायी संस्था को हस्तगत कराने के पश्चात यदि लागत में वृद्धि होती है तो उसे कार्यदायी संस्था अपने श्रोतो से वहन करेगी। शासन द्वारा उक्त बढ़ी हुई धनराशि उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय 190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-03- उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में अंश पूंजी विनियोजन-30-निवेश/ऋण के नामें डाला जाएगा।

3- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 के अशा०संख्या-ई-9-500/दस/2017 दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

ह०

(मुहम्मद अख़लाक़ खॉ)

विशेष सचिव।

संख्याः32 /2017/1174(1)/तीस-1-2017 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि0 ।
6. वित्त नियन्त्रक, परिवहन आयुक्त, कार्यालय लखनऊ।
7. वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0राज्य सड़क परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
8. वित्त नियन्त्रक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि0 ।
9. नियोजन अनुभाग-4 ।
10. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9/परिवहन अनुभाग-3।
11. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन,लखनऊ।
12. गाई फाइल।

आज्ञा से,

ह०

(विनोद कुमार)

उप सचिव।

http://srnasanadesh.up.nic.in